सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4

4. लोक प्राधिकारियों के दायित्व।

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी–

(क) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके से बनाए रखें और वह प्रपत्र जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त सभी अभिलेख उचित समय–सीमा में हों और विभिन्न प्रणालियों पर पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता, कंप्यूटरीकृत और जुड़े हों ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम हो सके।

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें–

(प) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।

(पप) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(पपप) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया।

(पअ) इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड।

(अ) इसके द्वारा धारित या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख।

(अप) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाते हैं।

(अपप) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति या कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।

(अपपप) मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक वक्तव्य जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को इसके भाग के रूप में या उनकी सलाह के उद्देश्य से गठित किया गया है और क्या उन मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत जनता के लिए सुलभ हैं।

;पगद्ध अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।

(ग) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है।

(गप) अपनी प्रत्येक शाखा को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट के विवरण का संकेत देता है।

(गपप) अनुवृत्ति कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है।

(गपपप) रियायतों, परमिट या इसके द्वारा दी गई प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।

(गपअ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के सम्बन्ध में विवरण।

(गअ) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।

(गअप) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।

(गअपप) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन करना।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को इसके प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के कारण प्रदान करें।

(2) प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उप–खंड (1) के खंड (बी) की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए ताकि इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान की जा सके ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा लेना पड़े।

(3) उप–धारा (1) के उद्देश्य से, प्रत्येक सूचना को व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(4) सभी सामग्रियों का प्रचार–प्रसार उस स्थानीय क्षेत्र में लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और संचार की सबसे प्रभावी विधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और सूचना को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में यथासंभव आसानी से सुलभ किया जाना चाहिए, जैसा कि मामला हो सकता है, उपलब्ध मुफ्त या माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य की लागत पर निर्धारित किया जा सकता है । स्पष्टीकरण। – उप–अनुभागों (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" का अर्थ है किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों के निरीक्षण सहित सूचना पटल, समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को जानकारी देना या सूचित करना।